न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम सं. 03, अजमेर

पीठासीन अधिकारी : **नीरज गुप्ता, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध प्रार्थना पत्र संख्या 10 / 2024
(CIS No 52/2024)

श्रीमती हेमलता पत्नी श्री देवदत्त शर्मा, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी मकान संख्या 710 / 28 वाकै गली नं. 3 बिहारी गंज, अजमेर पुलिस थाना अलवरगेट, अजमेर हाल निवासी म.न. 120, गांधी नगर कृष्णा नगर मथुरा (यू.पी.)। **—प्रार्थिया**

बनाम

1. दुष्यन्त कुमार मिश्रा पुत्र स्व. बाबूलाल मिश्रा, उम्र लगभग 67 वर्ष,।
2. भरत मिश्रा पुत्र श्री दुष्यन्त कुमार मिश्रा उम्र लगभग 34 वर्ष,
   निवासीगण पंचरतन कॉम्प्लैक्स भीलवाडा रोड, कांकरोली जिला राजसमंद।
3. तरूण खन्ना पुत्र श्री सतीश चंद खन्ना, उम्र 44 वर्ष, निवासी म.न. 1043 / 41, बिहारी गंज, अजमेर।
4. उप पंजीयन, उप पंजीयन कार्यालय, प्रथम जयपुर रोड, अजमेर।
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिलाधीश, अजमेर। **—अप्रार्थीगण**

प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता

बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित–

1. **श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा,** विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थिया की ओर से।
2. **श्री अविनाश तंवर,** विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से।
3. **श्री पंकज जैन,** विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 की ओर से।
4. **विद्वान अपर लोक अभियोजक,** अप्रार्थी सं. 4 व 5 की ओर से।

–: आ दे श :–

दिनांक : 24.03.2026

1. प्रार्थिया हेमलता की ओर से अप्रार्थीगण दुष्यन्त कुमार व अन्य के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर के समक्ष पेश किया गया, जो विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसका निस्तारण इस आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थिया व अप्रार्थी सं. 1 के पिता स्व. बाबूलाल मिश्रा की पैरा सं. 3 में वर्णित स्वअर्जित सम्पत्ति है। बाबूलाल मिश्रा की धर्मपत्नी कलावती का स्वर्गवास दिनांक 21.7.1976 को हो गया है तथा बाबूलाल मिश्रा वर्ष 1982 में लकवाग्रस्त हो गये और चलने फिरने में असमर्थ हो गये

Authenticated document

तथा दिनांक 4.12.1982 को उनका देहान्त हो गया। प्रार्थिया तथा अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी माता कलावती के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया जनवरी 2019 में शुरू की जो दिनांक 13.12.2022 को बनकर तैयार हुआ। उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रार्थिया 10–11 बार अजमेर आयी तथा अप्रार्थी सं. 1 ने सहमति पत्र व अन्य दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर करवाये। जिस बाबत प्रार्थिया ने अप्रार्थी सं. 1 को दिनांक 2.11.22 को जरिये अधिवक्ता एक नोटिस उक्त सम्पत्ति का बेचान, रहन, सबलेट नहीं करने एवं उक्त सम्पत्ति को लेकर किसी प्रकार की सरकारी व गैर सरकारी विभाग में कार्यवाही व दस्तावेज प्रार्थिया की सहमति के बिना तैयार नहीं करने बाबत प्रेषित करवाया। अप्रार्थी सं. 1 ने दिखावटी व कूटरचित वसीयतनामा दिनांक 16.11.1982 का बतलाकर तैयार करवाया जो उसके कब्जे में है। बाबूलाल जी के जीवनकाल में उक्त मकान में लीलावती नामक महिला किराये पर रहती थी जिसने उक्त सम्पत्ति पर बाबूलाल जी की सहमति से 4–5 हजार रूपये लगाकर निर्माण कार्य करवाया तथा बाद में उक्त महिला बाबूलाल जी को परेशान करने लगी, जिस पर प्रार्थिया ने अपने जेवर बेचकर उक्त महिला को 7500 रूपये दिनांक 8.12.1977 को दिये। जनवरी 1982 में बाबूलाल जी की तबीयत खराब रहने के कारण प्रार्थिया को बाबूलाल जी ने बुला लिया था और प्रार्थिया अपने परिवार सहित बाबूलाल जी की उक्त सम्पत्ति में ही निवास करने लगी और उनकी सेवा चाकरी में लगी रही तथा अगस्त 1982 में लकवाग्रस्त होने के पश्चात दिनांक 4.12.1982 को उनकी मृत्यु तक प्रार्थिया उसी सम्पत्ति में निवासरत रही तथा जनवरी 1983 में अपने ससुराल यू.पी. चली गयी। आगे कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 ने अपने पक्ष में फर्जी व कूटरचित दिनांक 16.11.1982 का वसीयनामा बनवाया और उसके आधार पर अप्रार्थी सं. 2 अपने पुत्र के पक्ष में दिनांक 08.11.21 को उपहार विलेख फर्जी व कूटरचित बनवाया। जिस पर अप्रार्थी सं. 2 ने उक्त कूटरचित उपहार विलेख के आधार पर अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में दिनांक 27.9.23 को उक्त सम्पत्ति का विक्रय पत्र निष्पादित किया। उक्त तीनों ही दस्तावेज प्रार्थिया के हक व अधिकारों पर शून्य व बेअसर दस्तावेज है। प्रार्थिया वादग्रस्त सम्पत्ति के 1 / 2 हिस्से की मालिक व काबिज है। उक्त वसीयत अपंजीबद्ध है। प्रार्थिया के पिता स्व. बाबूलाल जी ने अपने जीवनकाल में उक्त सम्पत्ति का मालिकाना हक का दस्तावेज किसी अन्य के पक्ष में निष्पादित नहीं किया है। अंत में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय का बिन्दु अपने पक्ष में बनना बताते हुये प्रार्थिया का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ताफैसला मूल वाद, प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति को विक्रय, अंतरण नहीं करे, ना ही उक्त सम्पत्ति के किसी दस्तावेज को तस्दीक किया जावे।

3. जिसका अप्राथी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त सम्पत्ति स्वयं के पिता स्व. बाबूलाल की होना स्वीकार कर कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 के पिता को पैर में लकवे की शिकायत सन् 1982 में जनवरी में हो गयी थी, परन्तु उनको बोलने व समझने में कोई परेशानी नहीं थी व उनके सोचने समझने की शक्ति भी पूर्ण थी। स्व. बाबूलाल मिश्रा ने वादग्रस्त सम्पत्ति बाबत एक वसीयनामा दिनांक 16.11.1982 को अप्रार्थी सं. 1 के नाम कर दिया, तत्पश्चात दिनांक 4.12.82 को उनका देहान्त

Authenticated document

हो गया था। अप्रार्थी सं. 1 ने रूपयों की आवश्यक हेतु उक्त सम्पत्ति को बेचान करने हेतु अपनी माता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु प्रार्थिया को बुलाया, तत्पश्चात प्रार्थिया की नीयत खराब हो गयी, जबकि अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी बहन के बच्चों की शादी में मायरा व सभी सामाजिक रीति रिवाज पूरा किया। वादग्रस्त सम्पत्ति का वसीयतनामा अप्रार्थी सं. 1 के नाम से है तथा अप्रार्थी सं. 1 को उक्त मकान विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। अप्रार्थी सं. 1 का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने से उसने अजमेर स्थित उक्त मकान जरिये पंजीकृत दान पत्र के अपने एकमात्र पुत्र अप्रार्थी सं. 2 भरत मिश्रा के नाम दान पत्र के कर दिया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दिखावटी व बनावटी कूटरचित वसीयतनामा तैयार नहीं करवाया। वसीयतनामा अप्रार्थी सं. 1 के पिता बाबूलाल मिश्रा द्वारा अपने होशहवास में निष्पादित करवाया था। प्रार्थिया की नीयत खराब होने व उसके द्वारा अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान किये जाने हेतु व अप्रार्थीगण से अनुचित लाभ येनकेन प्रकरेण प्राप्त किये जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिया अपने ससुराल यू.पी. में रहती थी, साल में एक दो बार मिलने आती थी। प्रार्थिया ने कई बार पिताजी के साथ मां के गहने लेने के लिए लडाई की, जिस कारण अप्रार्थी सं. 1 के पिताजी ने वसीयत बनाने का निर्णय लिया व वसीयत निष्पादित की। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया का किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता तथा अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु व सुविधा का संतुलन भी नहीं बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. अप्रार्थी सं. 3 द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त सम्पत्ति अप्रार्थी सं. 3 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 से पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 27.9.23 के द्वारा क्रय की गयी। अप्रार्थी सं. 3 सदभाविक क्रेता है। वर्तमान में अप्रार्थी सं. 3 ही वादग्रस्त सम्पत्ति का पंजीकृत मालिक व काबिज है। प्रार्थिया मालिक व काबिज नहीं है। प्रार्थिया द्वारा गलत आधार पर वाद पेश किया गया है तथा पूर्ण न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है। अंत में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. बहस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र उभय पक्ष सुनी गई।

6. दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थिया की ओर से निवेदन किया गया कि वादग्रस्त सम्पत्ति प्रार्थिया एवं अप्रार्थी सं. 1 के पिता स्व. बाबूलाल मिश्रा की स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थिया व अप्रार्थी सं. 1 उनके विधिक वारिस होने से वादग्रस्त सम्पत्ति में प्रार्थिया का 1/2 हक, हिस्सा है। उक्त सम्पत्ति के विक्रय, अंतरण नहीं करने बाबत प्रार्थिया द्वारा जरिये अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 को विधिक नोटिस दिया गया था। प्रार्थिया की जानकारी में यह बात आयी है कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने पिता की कूटरचित, फर्जी वसीयत मुर्तिब कर उक्त सम्पत्ति को अपने पुत्र अप्रार्थी सं. 2 को जरिये दान पत्र अन्तरण किया गया है तथा जिसके द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति अप्रार्थी सं. 3 को विक्रय कर दी गयी है। जबकि प्रार्थिया के पिता लकवाग्रस्त होने के कारण कोई भी दस्तावेज निष्पादित करने की स्थिति में नहीं थे तथा जिनकी वर्ष 1982 में मृत्यु हो चुकी है। फर्जी तथा कूटरचित वसीयतनामा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा निष्पादित किया गया है तथा उसके आधार पर उक्त दान पत्र व विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है, जबकि

Authenticated document

प्रार्थिया पुत्री होने से वादग्रस्त सम्पत्ति के 1/2 हिस्से की मालिक है। अंपजीबद्ध वसीयतनामा के आधार पर दान विलेख अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया है जो वसीयत को संदेहास्पद बनाता है। उक्त सम्पत्ति को अप्रार्थीगण दीगर विक्रय, अंतरण करने पर आमादा है। प्रार्थिया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु बनना पाये जाते है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त सम्पत्ति का विक्रय, अंतरण नहीं करे एवं मौका तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

7. जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से प्रार्थिया को अप्रार्थी सं. 1 की बहन तथा स्व. बाबूलाल मिश्रा की पुत्री होना स्वीकार किया, लेकिन साथ ही निवेदन किया गया कि उनके पिता बाबूलाल मिश्रा द्वारा पूर्ण स्वस्थ मानसिक अवस्था में उक्त वसीयत निष्पादित की गयी थी तथा केवल लकवाग्रस्त होने से उनकी मानसिक स्थिति खराब नहीं हुई थी। उक्त वसीयत के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में दान विलेख पंजीबद्ध कर निष्पादित करवाया गया है। जिसके आधार पर अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अप्रार्थी सं. 3 को वादग्रस्त सम्पत्ति का विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त कर किया गया है तथा वादग्रस्त सम्पत्ति पर अब अप्रार्थी सं. 3 काबिज है। अतः अप्रार्थी सं. 1 व 2 को पाबंद नहीं किया जा सकता। किसी प्रकार प्रार्थिया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु बनना नहीं पाये जाते है। अतः प्रार्थिया का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

8. वहीं दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 की ओर से प्रार्थिया के तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया गया कि अप्रार्थी सं. 3 द्वारा पूर्ण प्रतिफल अदा करके वादग्रस्त सम्पत्ति प्राप्त की गयी है। वह सदभाविक क्रेता है, जिसे यदि प्रकरण में पाबंद किया गया तो उसके हितों के साथ कूठाराघात होगा। प्रार्थिया द्वारा पूर्ण न्यायशुल्क अदा करके दावा पेश नहीं किया गया है, ना ही उसका वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा है। किसी प्रकार प्रार्थिया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु बनना नहीं पाये जाते है। अतः प्रार्थिया का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

9. मेरे द्वारा बहस के प्रकाश मे पत्रावली एव संबंधित विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओ पर विचार करना होता हैः–

1– प्रथम दृष्टया मामला,
2– सुविधा का संतुलन, एवं
3– अपूरणीय क्षति

<u>प्रथम दृष्टया मामलाः–</u>

10. प्रार्थिया वादग्रस्त सम्पत्ति स्वयं के पिता स्व. बाबूलाल मिश्रा की स्वअर्जित होना बताते हुये वर्ष 1982 में स्व. बाबूलाल के लकवाग्रस्त होने तथा उसकी वजह से उनके हाथ पैर सुन होने व काम करना बंद करना व स्वर्गवास दिनांक 04.12.1982 को होने के आधार पर स्व. बाबूलाल मिश्रा द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत

Authenticated document

दिनांक 16.11.1982 को बनवाटी व कूटरचित होना बताते हुये, उक्त वसीयत के आधार पर निष्पादित पंजीबद्ध उपहार विलेख दिनांक 08.11.21 जो कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया है तथा अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में दिनांक 27.09.23 को पंजीबद्ध विक्रय पत्र को उसके अधिकारों के प्रति शून्य, निष्प्रभावी होना बताते हुये हस्तगत प्रकरण पेश किया गया है। जहां तक वादग्रस्त सम्पत्ति स्व. बाबूलाल मिश्रा की स्वअर्जित होने का प्रश्न है, उक्त बिन्दु किसी भी पक्ष द्वारा विवादित नहीं किया गया है, लेकिन जहां तक स्व. बाबूलाल के वसीयतनामा निष्पादन में असमर्थ होने का प्रश्न है, अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा स्पष्टतः इस कथन से इंकार किया गया है कि बाबूलाल मिश्रा द्वारा लकवाग्रस्त होने से उनके हाथ पैर काम करना बंद कर दिये हो एवं वसीयत कूटरचित निष्पादित की गयी हो। वहीं अप्रार्थी सं. 3 का वर्तमान में सम्पत्ति का जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र क्रेता होना दर्शित है। वर्तमान में वादग्रस्त सम्पत्ति पर प्रार्थिया का कब्जा हो, ऐसा दर्शित करने बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1982 में प्रार्थिया के पिता स्व. बाबूलाल मिश्रा का देहान्त होना बताया गया है तथा प्रार्थिया के अनुसार जनवरी 1983 से वह अपने ससुराल यू.पी. रह रही है।

11. जहां तक प्रश्नगत वसीयत का फर्जी व बनावटी होने का प्रश्न है, प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह वर्णित नहीं किया गया है कि किस आधार पर उक्त वसीयत फर्जी व कूटरचित है, ना ही उसके द्वारा यह आक्षेपित किया गया है कि उक्त वसीयत पर उसके पिता के हस्ताक्षर नहीं हो। उल्लेखनीय है कि प्रार्थिया द्वारा प्रकरण में प्रश्नगत वसीयत को फर्जी व कूटरचित बताया गया है, लेकिन उसके सम्बंध में उसके द्वारा अप्रार्थी सं. 1 जिसके पक्ष में उक्त वसीयत निष्पादित की गयी, के विरूद्ध कोई भी फौजदारी कार्यवाही करना दर्शित नहीं है। उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त सम्पत्ति के मूल दस्तावेज भी उसके पास होना दर्शित नहीं है तथा उक्त सम्पत्ति में स्वयं 1983 से नहीं रहने का कथन करती है तथा अब जबकि सम्पत्ति अप्रार्थी सं. 3 को दिनांक 27.9.23 को विक्रय करना बताया गया है, उसके पश्चात दिनांक 27.2.24 को हस्तगत वादपत्र पेश किया गया है। उक्त दिनांक से पूर्व प्रार्थिया वादग्रस्त सम्पत्ति पर कभी काबिज हो, ऐसा दर्शित नहीं किया गया है।

12. जहां तक स्व. बाबूलाल मिश्रा के लकवाग्रस्त होने व बीमार होने के कारण हाथ पैर काम नहीं करने का प्रश्न है, इस सम्बंध में कोई भी चिकित्सकीय दस्तावेज प्रार्थिया द्वारा पेश करना दर्शित नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अप्रार्थी सं. 3 द्वारा पूर्ण विक्रय प्रतिफल अदा करके वादग्रस्त सम्पत्ति क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है। जिसके सम्बंध में दस्तावेज पंजीबद्ध दानपत्र, पंजीबद्ध विक्रय पत्र इत्यादि की प्रतियां पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है। जिनके अनुसार वर्तमान में वादग्रस्त सम्पत्ति पर अप्रार्थी सं. 3 का ही कब्जा है। न्यायालय के मतानुसार चूंकि अप्रार्थी सं. 3 जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र वादग्रस्त सम्पत्ति का क्रेता है तथा प्राथमिक तौर पर प्रार्थिया न्यायालय के समक्ष यह दर्शित करने में असमर्थ रही है कि उसके पिता स्व. बाबूलाल मिश्रा वसीयत दिनांक 16.11.82 को लकवाग्रस्त होने के कारण कोई भी दस्तावेज निष्पादित करने में असमर्थ रहे हो। जहां तक वसीयत कूटरचित होने का प्रश्न है, प्रार्थिया द्वारा कोई भी फौजदारी कार्यवाही इस सम्बंध में किया जाना दर्शित नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण

Authenticated document

में प्राथमिक तौर पर प्रार्थिया यह साबित करने में असफल रही है कि वसीयत निष्पादन के दिनांक को स्व. बाबूलाल मिश्रा वसीयत निष्पादित करने में असमर्थ हो। स्वीकृत तौर पर वर्तमान में प्रार्थिया का वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा नहीं है, वरन् अप्रार्थी सं. 3 जरिये पंजीबद्ध क्रेता के तौर पर मालिक, काबिज होना दर्शित है। अतः बाद गौर उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में किसी प्रकार प्रार्थिया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थिया के विरूद्ध तय किया जाता है।

(2) सुविधा का संतुलन व (3) अपूर्तनीय क्षतिः–

13. सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। जैसाकि पूर्व में विस्तृत रूप से विवेचन किया जा चुका है कि अप्रार्थी सं. 3 जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र वादग्रस्त सम्पत्ति का क्रेता है, जो कि उस पर काबिज होना बताया गया है। जिस तथ्य का प्रार्थिया द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। वहीं वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बंध में निष्पादित वसीयतनामा कूटरचित हो, ऐसा इस स्तर पर दर्शित करने के सम्बंध में कोई भी दस्तावेज अथवा फौजदारी कार्यवाही करना दर्शित नहीं है। न्यायालय के मतानुसार चूंकि अप्रार्थी सं. 3 द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति अप्रार्थी सं. 2 से जिसे कि वादग्रस्त सम्पत्ति अप्रार्थी सं. 1 से प्राप्त हुई है, पूर्ण प्रतिफल अदा करके खरीदी गयी है। जिसे यदि प्रकरण में पाबंद किया गया तो उसे प्रार्थिया की अपेक्षा अत्यधिक असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः बाद गौर उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में उक्त दोनों बिन्दु भी प्रार्थिया के विरूद्ध तय किये जाते है।

14. चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थिया के विरूद्ध निर्णीत किये गये हैं। अतः प्रार्थिया, अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है।

आ दे श

15. अतः प्रार्थिया श्रीमती हेमलता की ओर से अप्रार्थीगण दुष्यन्त कुमार व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(नीरज गुप्ता)
अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–03,
अजमेर

16. आदेश आज दिनांक **24.03.2026** को विवृत न्यायालय लिखाया जाकर सरे इजलास उद्घोषित किया गया।

(नीरज गुप्ता)
अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–03
अजमेर

Authenticated document